बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

–:अधिसूचना:–

संख्या–06 / प्र०–02(प्रो० / कार्य०)–04 / 2025– / पटना–15, दिनांक–

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 19300 दिनांक 13.10.2023 तथा अधिसूचना संख्या–18775 दिनांक 04.10.2025 के तहत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 02.07.2026 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आधार पर विभागान्तर्गत दिनांक 11.04.2019 से दिनांक 13.10.2023 के मध्य बिहार अभियंत्रण सेवा के निम्नलिखित सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के अधीन विहित वेतनमान सहित अभियंता प्रमुख (असै०) (वेतन स्तर–14) के उच्चतर पद हेतु अनुमान्य वेतनमान का वैचारिक लाभ निम्नवत् प्रदान किया जाता है:–

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम / आई०डी०संख्या / गृह जिला	मूल कोटि की वरीयता (विभागीय पत्रांक–1419 दिनांक 29.04.2019 के आलोक में)	कोटि	वैचारिक रूप से अनुमान्यता की तिथि / सेवा निवृति की तिथि	पुनर्निर्धारित पेंशन के देयता की वास्तविक तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री अंजनी कुमार सिंह 3171 / पटना	1	सामान्य	31.07.2020	04.10.2025	
2	श्री रवीन्द्र कुमार शंकर 3180 / हजारीबाग	5	सामान्य	31.10.2022	04.10.2025	
3	श्री शशि शेखर पाण्डेय 3184 / वैशाली	7	सामान्य	30.11.2020	04.10.2025	
4	श्री ईश्वर चंद्र ठाकुर 3187 / मुजफ्फरपुर	9	सामान्य	31.01.2023	04.10.2025	
5	श्री सुरेश पूर्वे 3207 / मधुबनी	15	सामान्य	31.12.2020	04.10.2025	
6	श्री तिमिर कांति भादुरी 3208 / पटना	16	सामान्य	31.08.2021	04.10.2025	
7	श्री शांति रंजन शर्मा 3209 / पटना	17	सामान्य	31.05.2022	04.10.2025	
8	श्री नरेन्द्र कुमार तिवारी 3211 / भोजपुर	19	सामान्य	31.01.2023	04.10.2025	
9	मो० सफदर आलम 3280 / भागलपुर	38	सामान्य	31.01.2023	04.10.2025	
10	श्री ओम प्रकाश 3297 / बेगुसराय	45	सामान्य	30.06.2023	04.10.2025	

2. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के प्रावधानों के आलोक में उत्क्रमित उच्चतर पद का वैचारिक लाभ प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों के संबंध में भविष्य में अर्हत्ता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि / विसंगति पाए जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त वैचारिक लाभ संबंधी आदेश को रद्द / संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई अन्तर राशि की वसूली कर ली जाएगी।

3. कार्यकारी व्यवस्था के तहत् विहित वेतनमान में उच्चतर पद का वैचारिक लाभ माननीय उच्चतम् न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या–4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

4. उपर्युक्त सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को उक्त लाभ वैचारिक रूप से अनुमान्य किया जाएगा, उक्त के क्रम में सेवाकाल में किसी भी प्रकार का अनुमान्य बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस आधार पर वेतन एवं सेवानिवृत्ति के समय वेतन का निर्धारण वैचारिक रूप से किया जाएगा। तदनुसार पेंशन का वैचारिक पुनर्निर्धारण किया जाएगा, जिसका वास्तविक आर्थिक लाभ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना अधिसूचना संख्या–18775 दिनांक 04.10.2025 निर्गत करने की तिथि यथा दिनांक 04.10.2025 से अनुमान्य होगा।

5. उपर्युक्त अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक 13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 एवं अधिसूचना–18775 दिनांक 04.10.2025 में निहित प्रावधानों/शर्तों के आलोक में की गई है, जो इस नियमावली/अधिसूचना में किसी भी परिवर्तन/स्पष्टीकरण के फलाफल से प्रभावित होगी।

6. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना अधिसूचना संख्या–18775 दिनांक 04.10.2025 के आलोक में उपर्युक्त बिहार अभियंत्रण सेवा के सेवानिवृत पदाधिकारियों को अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के अधीन अनुमान्य उच्चत्तर पदों के वेतनमान का वैचारिक लाभ/पेंशन पुनरीक्षण संबंधी कार्य महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना के स्तर से अपेक्षित होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(कुमुद रंजन)

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक–06/प्र०–02(प्रो०/कार्य०)–04/2025– 3174 /पटना–15, दिनांक– 20/01/2026

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित **(द्वारा–कार्यपालक अभियंता, प्रभारी आई०टी०, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना)**/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (व्यैक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, एनेक्सी ब्लॉक–3 (भूतल), पुराना सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–जल संसाधन मंत्री, बिहार के आप्त सचिव को दो प्रतियों में/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना /योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/

निगरानी विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/ लोकायुक्त के आप्त सचिव, 4, कौटिल्य मार्ग, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, पटना/भू–सम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी अभियन्ता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बिहार/निदेशक (मुख्य अभियन्ता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, वाल्मी, पटना/सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, पटना/सभी अधीक्षण अभियन्ता, मोनिटरिंग अंचल, पटना/उड़नदस्ता अंचल–1 एवं उड़नदस्ता अंचल–2, पटना/कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी, एम0 आई0 एस0 कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना **[Common integrated website (www.state.bihar.gov.in)]** पर प्रकाशित करने हेतु/कार्यपालक अभियन्ता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कराने एवं वित्त विभाग को सी० डी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 22, 23 एवं 24, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/7/26

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)